



सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं
पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन
31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



उत्तर प्रदेश सरकार



विषय सूची		
विषय सूची	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
अध्याय—I		
पंचायती राज संस्थाओं पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
राजस्व का स्रोत	1.3	3
निधियों का उपभोग	1.4	6
समग्र वित्तीय स्थिति	1.5	8
जिला नियोजन समितियां	1.6	9
बजट तैयार किया जाना और बजट की प्रक्रिया	1.7	9
लेखांकन व्यवस्थायें	1.8	10
सम्प्रेक्षा व्यवस्थायें	1.9	10
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए सम्प्रेक्षा को सौंपे जाने की स्थिति	1.10	11
अन्य बिन्दु	1.11	12
निष्कर्ष	1.12	12
अध्याय—II		
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जिला नियोजन समिति की कार्य प्रणाली पर विषय वस्तु केन्द्रित लेखापरीक्षा		13
अध्याय—III		
लेन देनों की लेखापरीक्षा		
सन्देहास्पद एवं अधोमानक कार्य	3.1	25
अनियमित व्यय	3.2	26
निष्फल व्यय	3.3	27
ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण में परिहार्य व्यय	3.4	28

परिशिष्टियां		
जिला पंचायतों में कर संग्रह में अवशेष (2009–10)	1.1	30
रोकड़ अवशेष का मिलान न किया जाना (31 मार्च 2010)	1.2	31
क्षेत्र पंचायतों में स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण (2008–11)	2.1	32
ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध निधि एवं व्यय का विवरण (2008–11)	2.2	33
परिहार्य व्यय	3.1	34

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) के लेखे के समुचित अनुरक्षण और उनकी लेखापरीक्षा पर तकनीकी दिशा निर्देशन और पर्यवेक्षण (टी जी एस) के निर्बंधनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय-I में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के कार्यकलापों का संक्षिप्त प्रस्तावना के साथ लेखों पर आडिट आपत्तियों एवं टिप्पणी है। अध्याय-II “उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जिला नियोजन समिति की कार्यप्रणाली” पर विषय वस्तु केन्द्रित लेखापरीक्षा के बारे में है तथा अध्याय-III लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा आपत्तियों के विषय में है।

प्रतिवेदन में उन प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है जो वर्ष 2010-11 की अवधि में नमूना जाँच में संज्ञान में आये है। अप्रैल, 2010 से मार्च 2011 की अवधि में 2223 पंचायती राज संस्थाओं के लेखें एवं अन्य अभिलेखों की जाँच किया गया है।

अध्याय-I

पंचायती राज संस्थाओं पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

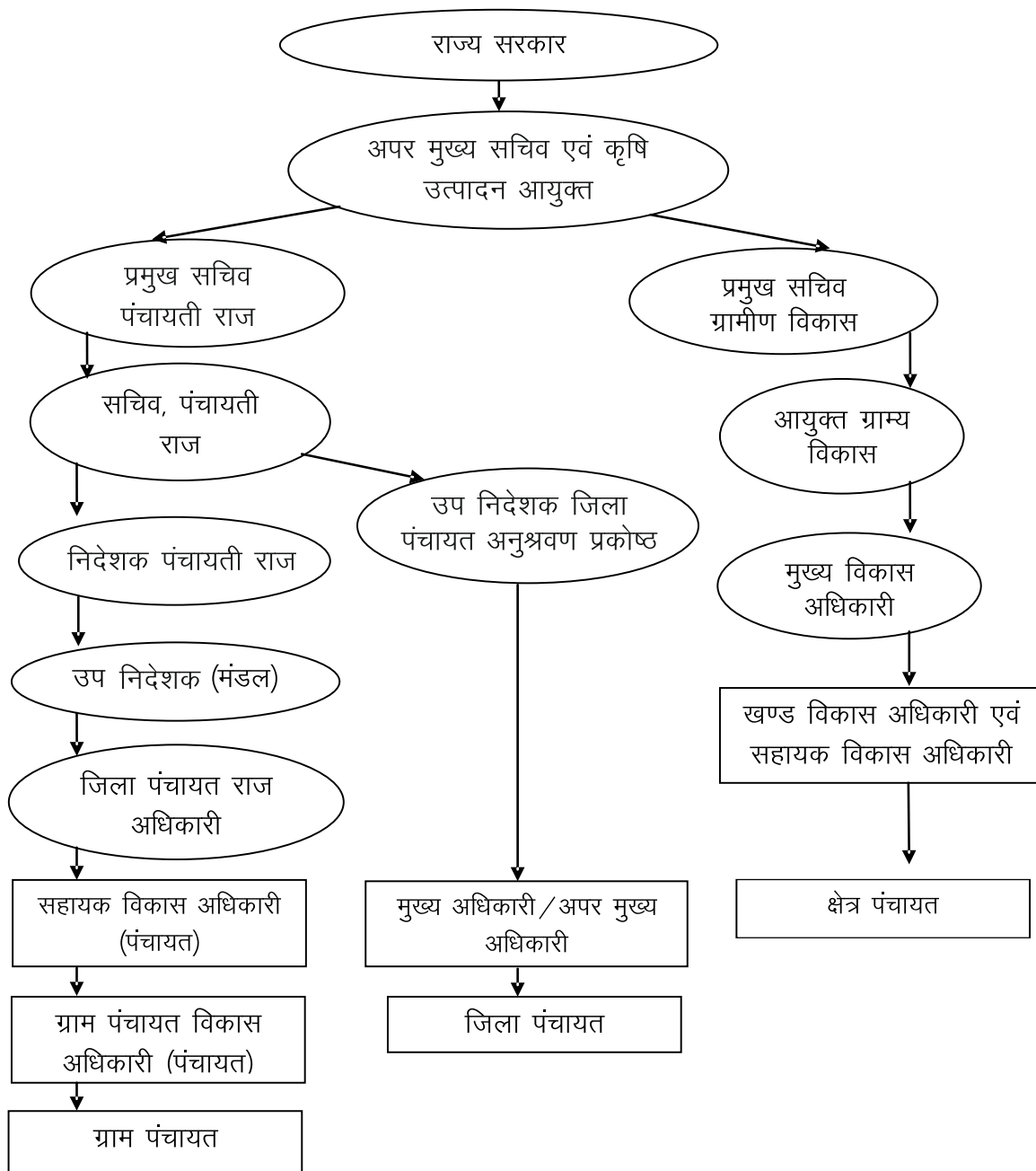
तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचित निकायों की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 को 1994 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम ग्रामीण स्वायत्तशासी निकायों, यथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (ग्रा पं), मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत (क्षे पं) एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत (जि पं), की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का वर्णन करता है जो उस समय तक राज्य सरकार में निहित थे। पंचायती राज संस्थाओं (पं रा सं) की व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय शासन में सामान्य जन की भागीदारी में वृद्धि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन था। समग्र पर्यवेक्षण समन्वय, नियोजन एवं विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जिला पंचायत में निहित था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी (अनन्तिम) 15.51 करोड़ (2001 की जनगणना के अनुसार 13.17 करोड़) थी। मार्च 2011 के अन्त में राज्य में 72 जिला पंचायतें¹ 821 क्षेत्र पंचायतें एवं 51,914 ग्राम पंचायतें थी।

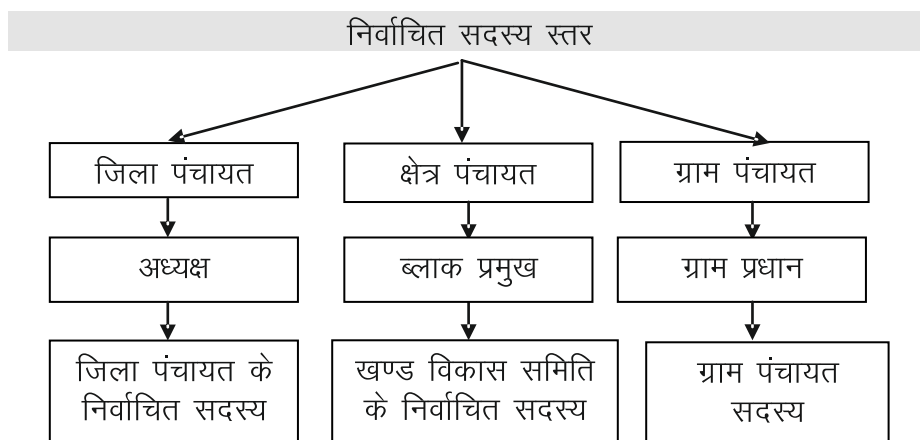
इन पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित निकायों का विगत चुनाव अक्टूबर-नवम्बर 2010 में हुआ था जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए 51,914 ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के लिए 821 ब्लाक प्रमुखों एवं जिला पंचायतों के लिए 72 अध्यक्षों का चुनाव किया गया था।

¹जिला पंचायत छत्रपति शाहूजी महाराज नगर वर्ष 2010 में सृजित किया गया।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

पंचायती राज संस्थाओं का त्रिस्तरीय प्रशासनिक नियंत्रण निम्नवत है—





1.3 राजस्व का स्रोत

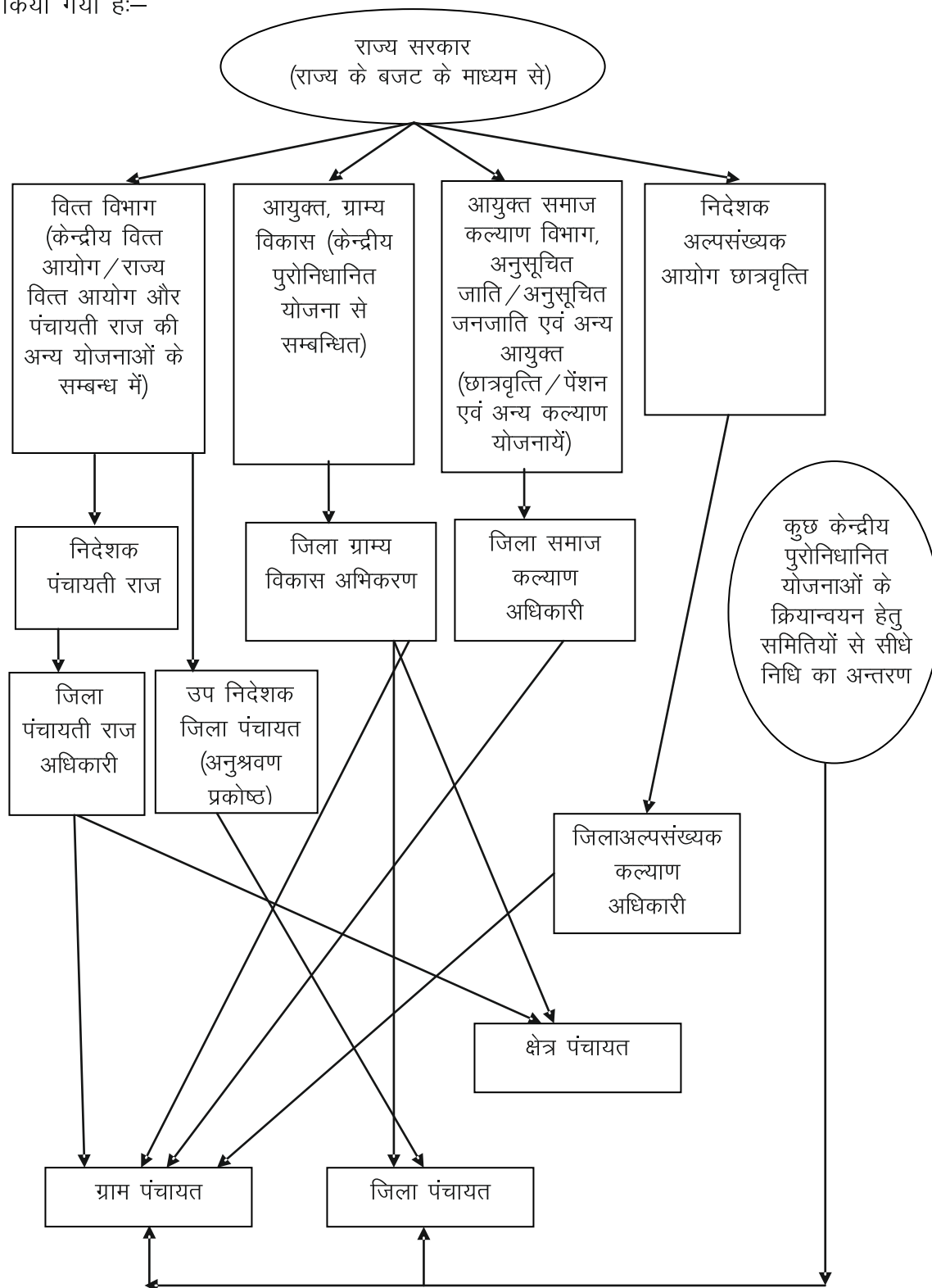
1.3.1 राजस्व का प्रवाह

पंचायतीराज संस्थाओं के संसाधनों में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग ने राज्य सरकार से उन्हें अनुदान अवमुक्त करने की अनुशंसा की थी। सभी तरह से पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के स्रोत निम्नवत हैं—

- बारहवां एवं तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन समनुदेशित अनुदान,
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व के शुद्ध आगमों का 5.5 प्रतिशत अंश,
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से प्राप्त अनुदान,
- पंचायती राज संस्थाओं को अन्तरित कार्यों के लिए विभागों से प्राप्त निधियां,
- निजी स्रोतों जैसे करों, किराये, शुल्कों इत्यादि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अर्जित राजस्व।

1.3.2 निधि प्रवाह तालिका

पंचायती राज संस्थाओं को आधारभूत स्तर पर निधियों का प्रवाह निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है:-



1.3.3 कुल प्राप्तियाँ

2006-11 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त कुल अनुदान, केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान और निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व की स्थिति तालिका-1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1: पंचायती राज संस्थाओं की कुल प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें	निजी स्रोत	योग
2006-07	585.60	1,169.05	1,698.37	73.90	3,526.92
2007-08	585.60	1,567.77	3,340.80	90.75	5,584.92
2008-09	587.28	1,281.68	8,679.89	91.80	10,640.65
2009-10	585.60	1,262.07	12,119.67	103.73	14,071.07
2010-11	911.29	2,376.94	10,737.28	128.82	14,154.33
योग	3,255.37	7,657.51	36,576.01	489.00	47,977.89

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज लखनऊ, उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ, आयुक्त, ग्राम्य विकास लखनऊ)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2006-11 के दौरान प्राप्तियों में अभिवृद्धि का रुझान था।

1.3.4 राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तान्तरण

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने संस्तुति की थी कि कुल कर राजस्व के शुद्ध आगमों का पांच प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित होना चाहिए। आगे, तृतीय राज्य वित्त आयोग ने संस्तुति किया कि कुल कर राजस्व के शुद्ध आगमों का 5.5 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित होना चाहिए। निधियों का हस्तान्तरण एवं सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को अवमुक्त वास्तविक निधियाँ (2006-11) तालिका-2 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2: शुद्ध आगम तथा पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार की कर राजस्व के शुद्ध आगम	निधियाँ हस्तान्तरण की जानी थी	वास्तव में हस्तान्तरित निधियाँ	कमी / आधिक्य	प्रतिशत
2006-07	22,998	1,150	1,169	(+) 019	(+) 02
2007-08	24,959	1,248	1,568	(+) 320	(+) 26
2008-09	28,659	1,433	1,282	(-) 151	(-) 11
2009-10	33,878	1,694	1,262	(-) 432	(-) 26
2010-11	43,464	2,391	2,377	(-) 14	(-) 01
योग	1,53,958	7,916	7,658	(-) 258	(-) 10

(स्रोत: वित्त लेखें एवं निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ, उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, आयुक्त, ग्राम्य विकास लखनऊ)

यद्यपि 2006—11 के दौरान हस्तान्तरण में कुल ₹ 258 करोड़ की कमी थी, अधिकतम कमी वर्ष 2009—10 के दौरान पायी गयी जब ₹ 1,694 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹ 1,262 करोड़ हस्तान्तरित किये गये थे। इससे पंचायती राज संस्थायें अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी गतिविधियों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने से वंचित रहीं।

1.4 निधियों का उपभोग

1.4.1 बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपभोग

वर्ष 2006—11 के दौरान बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध, उपभोग एवं अनुपभोग निधियों की स्थिति तालिका-3 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3: बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त निधियों का उपभोग
(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधियां	उपभोग निधियां	अनुपभोग निधियां
2006—07	585.60	551.96	33.64
2007—08	585.60	556.52	29.08
2008—09	587.28	587.10	0.18
2009—10	585.60	580.25	5.35
2010—11	911.29	637.90	273.39
योग	3,255.37	2,913.73	341.64

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ)

वर्ष 2009—10 के दौरान निदेशालय स्तर पर कोषागार से अनाहरण के कारण ₹ 5.35 करोड़ सरकारी लेखे को व्यपगत हो गये। विश्लेषण से आगे ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010—11 में ₹ 273.39 करोड़ उपभोग नहीं किये गये थे।

1.4.2 राज्य वित्त आयोग के अनुदान का उपभोग

वर्ष 2006—11 के दौरान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध, उपभोग एवं अनुपभोग किये गये अनुदान की स्थिति तालिका-4 में दर्शायी गयी है—

तालिका 4: राज्य वित्त आयोग अनुदान का उपभोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	उपभोग की गयी निधियां (प्रतिशत)	उपभोग न की गयी निधियां (प्रतिशत)
2006—07	373.69	1,169.05	1,542.74	724.01 (47)	818.73 (53)
2007—08	818.73	1,567.77	2,386.50	1,065.30 (45)	1,321.20 (55)
2008—09	1,321.20	1,281.68	2,602.88	1,280.71 (49)	1,322.17 (51)
2009—10	1,322.17	1,262.07	2,584.24	1,168.01 (45)	1,416.23 (55)
2010—11	1,416.23	2,376.94	3,793.17	1,098.84 (29)	2,694.34 (71)

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निधियों के उपभोग की गति धीमी थी क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बड़ी धनराशि बिना व्यय के पड़ी थी तथा वर्ष 2010-11 में यह बढ़कर ₹ 2694.34 करोड़ (71 प्रतिशत) हो गयी। स्पष्ट रूप से जनता मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, जलापूर्ति एवं सफाई आदि विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लाभों से वंचित रही।

1.4.3 केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान

पंचायती राज संस्थायें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं की प्रारम्भिक स्तर पर कार्यदायी संस्थायें हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार उनके कार्यान्वयन के लिए निधियां अवमुक्त करती हैं। केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2006-11 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदानों की स्थिति तालिका-5 में दर्शायी गयी है—

तालिका 5: केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के नाम एवं अवधि	प्राप्त अनुदान			अवमुक्त अनुदान
	केन्द्र	राज्य	योग	
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2006-08)	873.55	286.66	1,160.21	1,160.21
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (2006-11)	1,589.29	520.00	2,109.29	2,109.29
इन्दिरा आवास योजना (2006-11)	4,022.98	1,280.05	5,303.03	5,303.03
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (2006-11)	16,020.52	1,683.16	17,703.68	17,703.68
प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (2008-11)	5,795.78	—	5,795.78	5,795.78
ग्रामीण पेयजल योजना (2008-11)	2,342.58	1,720.64	4,063.22	4,063.22
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2008-11)	281.78	110.31	392.09	392.09
बायो गैस (2008-11)	3.95	—	3.95	3.95
योग	30,930.43	5,600.82	36,531.25	36,531.25

(स्रोत: आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर एस बी वाई)

1.4.4 निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व

पंचायती राज संस्थायें जनता से कर, किराया, शुल्क आदि लगाकर राजस्व प्राप्त करती हैं। तदनुसार सरकार ने उनके लिए राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित (2008-11) किया था। तालिका-6, 2008-11 के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष वसूल किये गये राजस्व को प्रदर्शित करती है।

तालिका 6: निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व

(₹ करोड़ में)

पंचायतीराज संस्थाएं (जि.पं. एवं ग्रा.पं. की संख्या)	2008-09		2009-10		2010-11	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
जिला पंचायतें (72)	93.86	88.22 (94)	103.26	100.60 (97)	115.02	128.82 (112)
ग्राम पंचायतें (51,914)	4.53	3.58 (79)	4.42	3.13 (71)	4.96	2.54 (51)
योग	98.39	91.80 (93)	107.68	103.73 (96)	119.98	131.36 (109)

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-11 के दौरान ग्राम पंचायतों में न केवल राजस्व की वसूली में कमी होती रही बल्कि लगातार घटती रही।

अग्रेतर, 32 जिला पंचायतों ने 2009-10 में किरायेदारों, लाइसेंसधारियों एवं ठेकेदारों आदि से किरायें, लाइसेंस शुल्क आदि के अवशेष ₹ 25.82 करोड़ को सम्मिलित करते हुए ₹ 48.84 करोड़ की मांग प्रस्तुत की (परिशिष्ट 1.1) इसमें से ₹ 19.25 करोड़ की वसूली हुई एवं शेष ₹ 29.59 करोड़ अभी तक वसूली हेतु लम्बित थे।

1.5 समग्र वित्तीय स्थिति

पंचायती राज संस्थाओं के वित्त व्यवस्था पर डाटाबेस की संरचना नहीं की गयी, परिणामस्वरूप, प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्तियां, व्यय एवं अन्तिम अवशेष दर्शाते हुए पंचायती राज संस्थाओं की समग्र वित्तीय स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

वर्ष 2010-11 में 2,223 पंचायती राज संस्थाओं के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षण किया गया। अवधि 2008-11 में नमूना जाँच किये गये संस्थाओं की वित्तीय स्थिति तालिका-7 में दर्शायी गयी है।

तालिका 7: विगत तीन वर्षों में लेखा परीक्षित इकाईयों की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या जिनकी जांच की गयी	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त निधियां	कुल प्राप्त निधियां	व्यय (कोष्ठक में) प्रतिशत	अन्तिम अवशेष
जिला पंचायत						
2007-08	52	319.41	589.80	909.21	484.00 (53)	425.21
2008-09	55	439.04	993.15	1,432.19	1,022.87 (71)	409.32
2009-10	55	381.80	682.90	1,064.70	646.94 (61)	417.76
क्षेत्र पंचायतें						
2007-08	130	53.33	282.39	335.72	274.59 (82)	61.13
2008-09	300	156.36	532.09	688.45	503.09 (73)	185.36
2009-10	147 ²	86.13	248.56	334.69	246.26 (74)	88.43

²150 क्षेत्र पंचायतों में से 3 क्षेत्र पंचायतों की वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की गयी थी इसलिए तालिका में सम्मिलित नहीं की गयी।

ग्राम पंचायतें						
2007-08	4,525	87.28	376.92	464.20	346.73 (75)	117.47
2008-09	3,003	71.85	363.89	435.74	307.84 (71)	127.90
2009-10	1,891 ³	78.85	252.95	331.80	220.41 (66)	111.39

(स्रोत: लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका 2010-11)

तालिका का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं ने निधियों का कम उपभोग किया। सर्वाधिक अवरोधन जिला पंचायतों में था जहां मार्च 2010 के अन्त में ₹ 417.76 करोड़ अनुपयोगित पड़ा था। परिणामस्वरूप निधियों का संचयन जारी रहा जो कमजोर नियोजन को इंगित करता है।

1.6 जिला नियोजन समितियां

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 63 और 86 के अन्तर्गत जिला पंचायतों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से जिले के लिए उसमें क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं सम्मिलित करते हुए एक विकास कार्यक्रम तैयार करना था और इसे जिला योजना समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना था जो उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के उपबन्धों के अन्तर्गत गठित की जानी थी। ऐसी समितियां अप्रैल 2008 में गठित की गयी जो दिसम्बर 2009 से क्रियाशील हुयी। इसके बावजूद 2010-11 में नमूना जांच की गयी 55 जिला पंचायतों की जिला विकास योजनाओं में क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं सम्मिलित नहीं की गयी थी।

1.7 बजट तैयार किया जाना और बजट की प्रक्रिया

बजट तैयार किया जाना और बजट की तैयारी की प्रक्रिया वार्षिक बजट प्राक्कलनों की जांच और तदुपरान्त व्यय पर नियन्त्रण यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे प्राधिकृत अनुदानों का विनियोजनों के अन्तर्गत सीमित रखा गया था, को निहित करती है। इस उद्देश्य के साथ प्रत्येक पंचायती राज संस्था को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियम संग्रह⁴ के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक बजट तैयार करना था। वर्ष 2010-11 में 2018 ग्राम पंचायतों और 150 क्षेत्र पंचायतों की नमूना जांच में पाया गया कि उनके द्वारा बजट तैयार नहीं किया गया था।

³2018 ग्राम पंचायतों में से 127 इकाइयों की वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की गयी थी, इसलिए तालिका में सम्मिलित नहीं की गयी।

⁴अनुच्छेद- 110 एवं 115

1.8 लेखांकन व्यवस्थायें

➤ भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूपों को अपनाया जाना

पंचायती राज संस्थाएं अपने लेखे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूपों में रख रही है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायतीराज संस्थानों के सभी तीन स्तरों के लेखों का रख रखाव के ऊपर नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण किये जाने की संस्तुति किया था। सी.ए.जी. एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने 2009 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आदर्श लेखाकरण संरचना की संस्तुति किया है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेखाकरण साफ्टवेयर 'प्रिआसाफ्ट' को राज्य सरकार द्वारा अपना लिया गया है तथा राज्य सरकार इसे पंचायती राज संस्थाओं की सभी तीन स्तरों में लागू किये जाने की प्रक्रिया में है।

➤ नकद अवशेष का लेखा मिलान न किया जाना

उत्तर प्रदेश जिला परिषद एवं क्षेत्र समिति (बजट एवं सामान्य लेखा) नियम 1965 के अनुच्छेद 84 (2) में प्रावधानित है कि प्राप्ति एवं व्यय के प्रत्येक मद को कोषागार एवं बैंक विवरण के आधार पर प्रत्येक माह के अन्त में मिलान किया जाय तथा यदि कोई अन्तर हो तो उनका समाधान किया जाना चाहिए। तथापि नमूना जांच (2010—11) में पाया गया कि सात जिला पंचायतों एवं 18 क्षेत्र पंचायतों में धनराशि कमशः ₹ 5.90 करोड़ एवं ₹ 4.17 करोड़ (परिशिष्ट 1.2) 31 मार्च 2010 को असमाधानित थी। असमाधानित अन्तर के दुर्विनियोग/दुर्विनियोजन सम्भावित थे।

1.9 सम्प्रेक्षा व्यवस्थायें

मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, पंचायती राज संस्थाओं की सभी त्रिस्तरीय लेखापरीक्षा हेतु प्राथमिक लेखापरीक्षक है।

फिर भी 2008—11 तक की अवधि में अधिक संख्या में पंचायतें अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण असम्प्रेक्षित थी, विवरण तालिका—8 में दिया गया है।

तालिका 8: इकाई की स्थिति प्रस्तावित, सम्प्रेक्षित एवं अवशेष

पंचायतों की संख्या	प्रस्तावित		सम्प्रेक्षित		अवशेष (प्रतिशत)	
	वर्तमान के विरुद्ध	अवशेष के विरुद्ध	वर्तमान के विरुद्ध	अवशेष के विरुद्ध	वर्तमान के विरुद्ध	अवशेष के विरुद्ध
2008-09						
जिला पंचायत	70	175	24	48	46(66)	127(73)
क्षेत्र पंचायत	809	5,430	36	90	773(96)	5,340(98)
ग्राम पंचायत	51,772	2,13,227	18,868	18,490	32,904(64)	1,94,737(91)
2009-10						
जिला पंचायत	70	169	29	58	41(59)	111(66)
क्षेत्र पंचायत	810	6,091	73	291	737(91)	5,800(95)
ग्राम पंचायत	51,977	2,24,725	23,988	28,670	27,989(54)	1,96,055(87)
2010-11						
जिला पंचायत	70	149	30	36	40(57)	113(76)
क्षेत्र पंचायत	809	6,584	58	194	751(93)	6,390(97)
ग्राम पंचायत	51,944	2,21,048	19,820	15,485	32,124(62)	2,05,563(93)

(स्रोत: मुख्य लेखापरीक्षाधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ)

अधिकांश पंचायतों की सम्प्रेक्षा 2008-11 की समयावधि में न होने की वजह से उनका वित्तीय विवरण वास्तविकता पर आधारित एवं विश्वसनीय नहीं था।

1.10 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए सम्प्रेक्षा को सौंपे जाने की स्थिति

ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के लेखों का उचित लेखांकन एवं तकनीकी मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण एवं उनकी सम्प्रेक्षा के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की अनुशंसा अग्रसारित किया था। इस क्रम में सरकार द्वारा (अक्टूबर 2001) स्थानीय संस्थाओं की लेखा परीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के धारा 20 (1) के अन्तर्गत सौंपा गया था। इसी क्रम में पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित की गयी तथा 18,099 (2003-11 के दौरान) सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत कर 13,666 प्रस्तर मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी को निस्तारण के लिए प्रेषित किये गये। यद्यपि उक्त प्रस्तर अनुत्तरित (दिसम्बर 2011) थे।

2010-11 की अवधि में 55 जिला पंचायतें, 150 क्षेत्र पंचायतें एवं 2018 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में 1302 प्रस्तर खराब वित्तीय प्रबन्धन एवं वित्तीय अनियमितता के परिणामस्वरूप निष्फल एवं अधिक व्यय, निधि का व्ययावर्तन एवं राजस्व हानि आदि को कार्यालय प्रमुख, निदेशक पंचायती राज तथा मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं

समितियां एवं पंचायतें को अग्रेसित किया गया। यद्यपि इन प्रस्तरों का निस्तारण प्रतीक्षित (दिसम्बर 2011) था।

1.11 अन्य बिन्दु

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने 245 संस्तुतियों की थी जिसमें मुख्य रूप से अनुदान का समय पर निर्गत किया जाना, पंचायतों के निजी स्रोतों में वृद्धि करना, जिला पंचायत की आय को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण, पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों को गतिमान करना आदि था। सरकार ने 133 संस्तुतियों को पूर्णतः, 70 को आंशिक रूप से स्वीकार किया था, किन्तु 42 संस्तुतियां जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति पर करारोपण, भू-राजस्व की दरों में पुनरीक्षण एवं पंचायतों की आय में वृद्धि हेतु लाइसेंस शुल्क आदि से सम्बन्धित थी, को स्वीकार नहीं किया।

1.12 निष्कर्ष

इस प्रकार बजटिंग एवं बजट प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने एवं लेखा अभिलेखों को निर्धारित प्रपत्रों में नहीं बनाये जाने के परिणामस्वरूप पंचायतों की आय एवं व्यय का सत्य एवं निष्पक्ष-दृश्य उपलब्ध नहीं था। बकाया सम्प्रेक्षा के कारण उपलब्ध वित्तीय आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे। डाटा बेस के लिए निधि उपलब्धता होते हुए भी इसे तीन स्तरों यथा जनपद, राज्य तथा केन्द्र में से किसी एक स्तर पर विकसित नहीं किया गया था। जिला नियोजन समिति अधिनियम 1999 के प्रभावी होने के बारह वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी जिला नियोजन समितियां प्रयोजन मूलक नहीं थी परिणाम स्वरूप उनके द्वारा जनपद स्तर पर विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों का नियोजन एवं अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

अध्याय-II

विषय वस्तु केन्द्रित लेखापरीक्षा

2. उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जिला नियोजन समिति की कार्यप्रणाली

2.1 प्रस्तावना

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1993 में अन्तर्वेशित भारत के संविधान (संविधान) की अनुच्छेद 243 जेड डी में यह व्यवस्था है कि जिले में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करने और जिले हेतु समग्र रूप से विकास की योजनाओं का मसौदा तैयार करने हेतु प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा। उपर्युक्त संशोधन के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार (सरकार) द्वारा जुलाई 1999 में 1999 के अधिनियम सं० 32 के माध्यम से उत्तर प्रदेश जिला नियोजन समिति अधिनियम 1999 (अधिनियम) को अधिनियमित किया गया।

अधिनियम में व्यवस्था है कि पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को एकीकृत करते हुए सम्पूर्ण जिले हेतु जिला विकास योजना तैयार करने हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला नियोजन समिति गठित की जाएगी तथा जिला विकास योजना की रूपरेखाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों एवं परिक्षेत्रों को निधियाँ आवंटित करेगी। चूंकि व्यय हेतु क्षेत्रों एवं परिक्षेत्रों का परिचालन शासकीय/सेवा विभागों द्वारा होता है जिला नियोजन समिति को भी शासकीय/सेवा विभागों की विकास योजनाओं को विचार करना था। यद्यपि शासकीय विभागों की वार्षिक योजनाओं को तैयार किये जाने एवं अनुमोदन हेतु अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया था। अधिनियम में उपबन्ध था कि जिले में उपलब्ध भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का निर्धारण तथा पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों एवं शासकीय विभागों के मध्य उनके विवेकसम्मत आवंटन पर विचार करते हुए जिले के एकीकृत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत एकीकृत जिला विकास योजनायें जिला नियोजन समिति भी तैयार एवं अनुमोदित करेगी। जिला नियोजन समिति को तीन माहों में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्णीत तिथि पर बैठक करना अपेक्षित था।

2.2 संगठनात्मक ढांचा

2.2.1 पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से यथा प्रस्तावित निर्वाचित सदस्य के $4/5$ ^{वीं} संख्या के साथ अधिकतम 40 सदस्यों वाली जिला नियोजन समिति गठित की जायेगी।

2.2.2 अवशेष 1/5^{वीं} संख्या में सम्मिलित होंगे :

- (i) समिति के अध्यक्ष— सरकार द्वारा नामित मंत्री
- (ii) जिला पंचायत के अध्यक्ष
- (iii) पद के नाते जिला मजिस्ट्रेट
- (iv) अन्य सदस्य जैसा कि सरकार द्वारा नामित किये जाये।

2.2.3 स्थायी आगन्तुक होंगे:

- (i) जिले में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद तथा विधान सभा के सदस्य।
- (ii) राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित विधान परिषद सदस्य अथवा जिले में राज्यपाल द्वारा नामित जिसे वे चाहें।

2.2.4 यह भी उपबन्धित था कि :

- (i) जिले का मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा तथा अभिलेखों के अनुरक्षण एवं बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- (ii) जिले का जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी समिति की कार्यवाहियों में सहयोग करने हेतु समिति का पदेन संयुक्त सचिव होगा।

2.2.5 नमूना जाँच किये गये सभी जिलों अर्थात् इलाहाबाद, कुशीनगर, रमाबाई नगर तथा उन्नाव में क्रमशः 40, 35, 20 एवं 35 सदस्यों वाली जिला नियोजन समिति का गठन किया गया था।

2.3 जिला नियोजन समिति के कर्तव्य एवं दायित्व

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला नियोजन समिति द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित कर्तव्यों का निष्पादन तथा दायित्वों का निर्वहन करना अपेक्षित था—

- (i) राष्ट्रीय एवं राज्य योजना उद्देश्यों के ढाँचों के अन्तर्गत जिले की स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों का निर्धारण करना।
- (ii) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित उपलब्ध सुविधाओं की सूचनाओं का संग्रहण, संकलन एवं अद्यतन करना तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में विहित विषयों पर क्रमशः स्थानीय आवश्यकताओं को सम्बोधित करने वाले जिले के

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु एकीकृत एवं वृहत पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना तैयार करना।

- (iii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं सांसद तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों को सम्मिलित करते हुए जिले की विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत निष्पादित की जा रही परियोजनाओं का अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।
- (iv) जिला योजनाओं में सम्मिलित परियोजनाओं की प्रगति आख्या राज्य सरकार को नियमित रूप से प्रस्तुत करना।

2.4 निधि प्रवाह तंत्र—

अधिनियम में उपबन्धित है कि सरकार अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जिले की वित्तीय परिव्यय की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत जिलेवार निधियों की व्यवस्था करेगी तथा विनियोजन के उपरान्त जिले को एकमुश्त निधि आवंटित करेगी। अग्रेतर, सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश (जुलाई 2009) दिया कि जिला विकास योजनाओं हेतु योजना परिव्यय का निर्णय राज्य के साथ जिला पंचायत एवं स्थानीय शहरी निकायों के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तथापि, नमूना जाँच किये गए चार जिलों की जिला विकास योजनाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि जिला विकास योजनाओं के योजना परिव्यय का निर्णय करते समय जिला पंचायतों तथा स्थानीय शहरी निकायों के संसाधनों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का निष्पादन यह निर्धारण करने हेतु किया गया था कि :—

- सरकार ने जिला नियोजन समिति का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के प्रावधानों के अनुसार किया था।
- जिला नियोजन समितियाँ पंचायतों के जिला योजनाओं को तैयार करने, एकीकृत करने एवं अनुमोदन करने में प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण ढंग से कार्यरत थी तथा जिला योजनाओं को तैयार करने हेतु जिले की सुविधाओं एवं संसाधनों के आधार भूत आँकड़े जिला स्तर पर उपलब्ध थे।
- पंचायती राज संस्थाओं हेतु जिला योजनाओं का निष्पादन जिला नियोजन समितियों के अनुमोदन के अनुसार किया जा रहा था।
- जिले में दक्ष अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान थी तथा प्रभावी ढंग से कार्यरत थी।

2.6 लेखापरीक्षा मानक

- (i) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961
- (ii) उत्तर प्रदेश जिला नियोजन अधिनियम, 1999
- (iii) उत्तर प्रदेश जिला नियोजन समिति नियमावली, 2008
- (iv) राज्य योजना आयोग के परिपत्रों/ दिशा-निर्देश

2.7 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

जिले में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना लागू किये जा रहे मानक पर भौगोलिक आधार पर चयनित नमूना जाँच किये गये जिलों के चार जिला पंचायतों⁵ एवं 11 क्षेत्र पंचायतों⁶ के अभिलेखों को लेखापरीक्षा दल द्वारा नमूना जाँच किया गया। दो जिले (उन्नाव एवं कुशीनगर) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि वाले जिले थे, जबकि शेष दो (रमाबाई नगर एवं इलाहाबाद) गैर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के थे। प्रत्येक नमूना जाँच की गयी क्षेत्र पंचायत में तीन ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा की गयी थी। लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा दल ने वर्ष 2008 से 2011 तक की अवधि को आच्छादित किया था तथा चयनित जिलों के जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी से सूचनायें संग्रहीत किया था।

2.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.8.1 74 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के छः वर्षों के उपरान्त जिला नियोजन समितियों का निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु तथा जिला योजनाओं को तैयार करने एवं अनुमोदित करने हेतु विहित प्रक्रिया का अधिनियम सरकार ने वर्ष 1999 में अधिनियमित किया तथा अधिनियम के पारित होने के आठ वर्षों से अधिक समय के पश्चात केवल जनवरी 2008 में नियमों को निर्मित किया। नमूना जाँच किये गये समस्त जिलों अर्थात् इलाहाबाद, कुशीनगर, रमाबाई नगर एवं उन्नाव में जिला नियोजन समितियाँ क्रमशः 40, 35, 20 एवं 35 सदस्यों वाली थी। इस प्रकार समग्र रूप से जिले हेतु जिला विकास योजना का एकीकृत मसौदा तैयार करने के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के उद्देश्यों को प्राप्त करने का कदम संशोधन पारित होने के 15 वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात उठाया गया तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत जिला विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 2008 में आरम्भ की गयी।

⁵ जिला पंचायत रमाबाई नगर, उन्नाव, इलाहाबाद, कुशीनगर

⁶ रमाबाई नगर में क्षेत्र पंचायत सरवन खेड़ा, मैथा, राजपुर, उन्नाव में पुर्वा, हसनगंज, बीघापुर, इलाहाबाद में क्षेत्र पंचायत फूलपुर, धानूपुर तथा कुशीनगर में क्षेत्र पंचायत पडरौना, हाटा, तमकुही।

2.8.2 अधिनियम में व्यवस्था है कि जिला नियोजन समितियाँ जिले में उपलब्ध भौतिक एवं मानव संसाधनों के आँकड़े संग्रहीत करेगी तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजनाओं को संशोधित एवं एकीकृत करते हुए संसाधनों का विवेक सम्मत उपयोग करके जिले के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करते हुए जिला योजनायें तैयार करेगी। फिर भी, जिला योजनाओं हेतु जिले को निधियों का आवंटन सम्बन्धी उपबन्धों को विनिर्मित करते समय अधिनियम में व्यवस्था दी गयी कि वार्षिक वित्तीय विवरण में जिले की वित्तीय परिव्यय के अन्दर सरकार जिलों को एकमुश्त निधियाँ आवंटित करेगी। जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को जिला वित्तीय परिव्यय के अन्दर राज्य निधि से जिले हेतु यथा निर्णीत के अनुरूप प्रस्तुत की जानी थी। नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि शासकीय विभागों हेतु पूर्व निर्णीत आवंटन के अनुसार जिला विकास योजनायें जिला नियोजन समिति ने अनुमोदित किया तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु उपबन्धों/निधियों को जिले की वित्तीय परिव्यय हेतु सम्मिलित नहीं किया गया था तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों को भी जिला वित्तीय परिव्यय में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस प्रकार, जिला विकास योजनाओं को तैयार करते समय पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के वित्त को जिले की वित्तीय परिव्यय एकीकृत नहीं करती थी।

2.8.3 जिला विकास योजना परिव्यय के अन्दर क्षेत्रों एवं परिक्षेत्रों में परिव्यय हेतु व्यय का आवंटन तथा जिले में पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों की योजनाओं को एकीकृत करते हुए जिला नियोजन समितियों द्वारा जिला विकास योजना तैयार किये जाने का उपबन्ध अधिनियम में है। अग्रेत्तर, सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन संस्थाओं में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रस्तावित परियोजनाओं को सम्मिलित किये जाने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया (जुलाई 2009) जिससे कि उनकी परियोजनायें राजकोष से वित्त पोषित हो सके। नमूना जांच किये गये जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का समेकित विवरण सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों को प्रस्तुत किया गया तथा क्षेत्र पंचायतें पुनश्च ग्राम पंचायतों के विवरणों को सम्मिलित करते हुए परियोजनाओं के अपने समेकित विवरणों को सम्बन्धित जिला पंचायत को प्रस्तुत किया। जिला पंचायत कार्यों के नाम एवं स्थित का जिक्र किये बिना विभिन्न प्रकार के कार्यों की मात्रा दर्शाते हुए उनकी अनुमानित लागत सहित

परियोजनाओं का समेकित विवरण जिला नियोजन समिति को प्रस्तुत किया। फिर भी, जिला नियोजन समिति ने विवरणों को जिला योजना परिव्यय में सम्मिलित किया किन्तु इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से पंचायती राज संस्थाओं को सूचित नहीं किया तथा पंचायती राज संस्थाएँ अपनी वार्षिक कार्ययोजना को निष्पादित किया जैसा कि उनके सम्बन्धित बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गयी थी। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक कार्य योजनाएँ जिला योजना परिव्यय के साथ एकीकृत नहीं की गयी थी तथा जिला नियोजन समिति पंचायती राज संस्थाओं में प्रभावी नहीं थी, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निष्पादित कार्य जिला विकास योजना के साथ एकाकी रही। इंगित किये जाने पर सम्बद्ध जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों, तथा नमूना जाँच की गयी ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत अधिकारियों ने अपने उत्तर में तथ्यों की पुष्टि किया था (अगस्त-दिसम्बर 2011)।

2.8.4 नमूना जाँच किये गये समस्त चार जिलों के जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारियों ने नियोजन प्रक्रिया का समर्थन करने वाले जिले की प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के सम्बन्ध में विहित आधार भूत आँकड़ों को अनुरक्षित नहीं किये थे। अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वार्षिक योजनाओं को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने हेतु समय सारिणी निर्धारित नहीं की गयी थी। फिर भी, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर वर्ष 2009-10 हेतु विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सरकार ने आदेश दिया तथा समय सारिणी निर्धारित किया (जुलाई 2009)। नमूना जाँच की गयी पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें एवं जिला पंचायतें) के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उन्होंने प्रस्तावित परियोजनाओं के समेकित विवरणों को (कार्यों के नाम एवं स्थिति का जिक्र किये बिना उनकी आगणित लागत सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों की मात्रा दर्शाते हुए) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी से प्राप्त परिपत्र के पश्चात निर्धारित समय सारिणी पर दृढ़ रहते हुए तैयार किया तथा सम्बन्धित जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को प्रस्तुत किया। फिर भी, पंचायती राज संस्थाओं ने एकीकृत वार्षिक योजना नियमित रूप से तैयार नहीं किया था तथा प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के अपेक्षित आँकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं थे। पंचायती राज संस्थाओं ने सम्बन्धित बोर्ड के सदस्यों की मॉगों के अनुसार वार्षिक योजनाएँ तैयार किया तथा अनुमोदित जिला विकास योजनाओं से एकांकी निष्पादन किया। अतः परियोजनाओं के समेकित विवरण जिला विकास योजनाओं के साथ एकीकृत नहीं थी और जिला नियोजन समिति पंचायती राज संस्थाओं में प्रभावहीन थी।

2.8.5 जिला नियोजन समिति की जिला मुख्यालय पर बैठक कम से कम तीन माहों में एक बार सम्पन्न किये जाने हेतु अधिनियम में उपबन्ध है। वर्ष 2008—11 के दौरान नमूना जॉच किए गए जिलों के अर्थ एवं संख्या अधिकारियों के बैठक सम्बन्धी अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकाश में आया—

जिले का नाम	वर्ष के दौरान सम्पन्न हुयी बैठकें		
	2008—09	2009—10	2010—11
इलाहाबाद	26.06.2008 30.01.2009	15.11.2009	—
कुशीनगर	18.07.2008 28.01.2009	30.11.2009	—
रमाबाई नगर	15.07.2008 24.01.2009	30.11.2009	—
उन्नाव	—	01.08.2009 29.11.2009	—

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि समस्त नमूना जॉच किए गये चार जिलों में वर्ष 2010—11 में जिला नियोजन समितियों की कोई बैठक सम्पन्न नहीं हुयी थी जबकि वर्ष 2008—2011 के दौरान इलाहाबाद, कुशीनगर एवं रमाबाई नगर जिले में केवल तीन बैठकें सम्पन्न हुयी थी। इस अवधि के दौरान उन्नाव में केवल दो बैठकें ही सम्पन्न हुयी थी। अतः अधिनियम में निर्धारित के अनुसार जिला नियोजन समितियों नियमित बैठकें नहीं की। इंगित किये जाने पर, लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (दिसम्बर 2011) कि नियमित बैठकें करने हेतु निर्देश जिला नियोजन समितियों को अगस्त 2011 में निर्गत किया जा चुका था।

2.8.6(i) जिले हेतु वित्तीय परिव्यय तथा नमूना जॉच किये गये जिलों के जिला पंचायतों की आन्तरिक स्रोतों से वर्ष 2008—2011 हेतु सकल प्राप्तियां निम्नवत थी—

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इलाहाबाद		कुशीनगर		उन्नाव		रमाबाई नगर		योग	
	परिव्यय	जि.पं. की प्राप्तियाँ	परिव्यय	जि.पं. की प्राप्तियाँ	परिव्यय	जि.पं. की प्राप्तियाँ	परिव्यय	जि.पं. की प्राप्तियाँ	परिव्यय	जि.पं. की प्राप्तियाँ
2008—09	179.30	11.05	125.92	29.65	126.39	50.24	104.61	5.14	536.22	96.08
2009—10	179.30	13.92	125.92	37.05	126.39	21.07	104.61	6.76	536.22	78.80
2010—11	179.30	18.36	125.92	26.51	126.39	14.57	104.61	7.13	536.22	66.57
योग	537.90	43.33	377.76	93.21	379.17	85.88	313.83	19.03	1608.66	241.45

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि नमूना जांच किए गये चार जिलों में अवधि 2008—11 के दौरान जिला योजनाओं हेतु ₹ 1608.66 करोड़ तथा उसी अवधि के दौरान जिला पंचायतों के सकल संसाधन ₹ 241.45 करोड़ रुपये के थे। सरकार ने अपने आदेश

(जुलाई 2009) के माध्यम से निर्देश दिया कि जिला पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के आन्तरिक संसाधनों को सम्मिलित करते हुए किसी जिला की जिला योजना वित्तीय परिव्यय निर्णीत किये जाये तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित परियोजनायें जिला विकास योजनाओं के समान प्रकृति वाली योजनाओं के साथ एकीकृत की जाये। जिला नियोजन समितियों द्वारा अनुमोदित तथा जिला विकास योजना में सम्मिलित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की परियोजनायें उसी सीमा तक रहे जिसे उनके पास उपलब्ध संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया जा सके क्योंकि वर्तमान बजट प्रणाली में पंचायती राज संस्थाओं को एकमुश्त निधियाँ प्रदान किया जाना सम्भव नहीं था। जिला अर्थ और संख्या अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि जिला नियोजन समितियों ने जिला विकास योजनायें तदनु रूप अनुमोदित किया। अतः जिला विकास योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित योजनाओं के साथ पंचायती राज संस्थाओं की कोई परियोजना एकीकृत नहीं की गयी। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, इलाहाबाद से वार्ता में यह भी परिलक्षित हुआ कि अनुमोदित जिला परिव्यय के अन्तर्गत अपनी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के अतिरिक्त संसाधनों को दर्शाने हेतु प्राप्ति एवं व्यय लेखांकन शीर्षों में न तो कोई स्थान दिया गया था न ही पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्ति एवं व्यय सम्मिलित किए गये थे क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के लेखे उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अनुरक्षित किये गये थे।

तथ्यों को सरकार ने भी अपने उत्तर में स्वीकार किया (दिसम्बर 2011)। अतः शासनादेशों के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया।

2.8.6(ii) चयनित चार जिलों की नमूना जाँच की गयी 11 क्षेत्र पंचायतों एवं 23 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उनके आन्तरिक संसाधनों को सम्मिलित करते हुए उनके पास क्रमशः ₹ 76.57 करोड़ एवं ₹ 16.94 करोड़ उपलब्ध थे जिसमें से अवधि 2008–2011 के दौरान जिला विकास योजनाओं से पृथक विभिन्न विकासशील गतिविधियों पर उनके द्वारा क्रमशः ₹ 58.56 करोड़ एवं ₹ 12.15 करोड़ व्यय किये गये थे **(परिशिष्ट–2.1 एवं 2.2)**। इंगित किये जाने पर, क्षेत्र पंचायतों के खण्ड विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पास उपलब्ध संसाधनों से परियोजनायें निष्पादित करायी तथा ये जिला नियोजन समितियों से अनुमोदित नहीं थी। अतः जिला नियोजन समिति के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुयी तथा अनुच्छेद 243 जेड डी की भावना लागू नहीं हुयी।

2.8.7 जिला पंचायत, इलाहाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अवधि 2010-11 के दौरान राज्य वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत निष्पादित कराये गये 689 परियोजनायें जिला नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं थी। बारहवें वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत शासन द्वारा संस्वीकृत परियोजनायें भी जिला नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं थी। इंगित किये जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 2011) कि जिला नियोजन समिति से जिला पंचायत ने अनुमोदित वार्षिक योजनायें प्राप्त नहीं किया था तथा जिला पंचायत ने अपने निकाय द्वारा संस्वीकृत परियोजनायें निष्पादित करायी। अतः जिला नियोजन समिति द्वारा जिला योजना में सम्मिलित परियोजनाओं को न तो निष्पादित किया न ही जिला नियोजन समिति द्वारा अनुश्रवण किया गया।

2.8.8 क्षेत्र पंचायत कुशीनगर एवं उन्नाव के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायतों ने 2008-11 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के अलावा अपनी वार्षिक योजना सम्बन्धित जिला नियोजन समितियों को प्रस्तुत नहीं की थी। जिला पंचायत, उन्नाव की वर्ष 2008-10 हेतु योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2010-11 हेतु परिप्रेक्ष्य योजना ही जिला नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह भी जिक्र करना था कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की केवल उन्ही परियोजनाओं को शासन द्वारा अनुमोदन एवं निधि अवमुक्ति हेतु उपबन्ध किया गया था जो सम्बन्धित जिला नियोजन समितियों से अनुमोदित होनी थी क्योंकि राज्य में मई 2008 तक कोई जिला नियोजन समिति नहीं थी। अतः यह योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2006-07 हेतु ₹ 510.28 करोड़ का आवंटन प्राप्त नहीं कर सकी। अपर मुख्य अधिकारी ने अपने उत्तर में तथ्यों की पुष्टि किया (नवम्बर 2011)। अतः जिला पंचायत एवं जिला नियोजन समितियां अधिनियम के प्रावधानों पर दृढ़ नहीं थीं।

2.8.9 जिला नियोजन समितियों द्वारा निष्पादित जिला योजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु अधिनियम में उपबन्ध किया गया था। जिला नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर, अपर मुख्य अधिकारी, कुशीनगर ने बताया (नवम्बर 2011) कि जिला नियोजन समिति की बैठकों तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठकों में नियमित अनुश्रवण किया जा रहा था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिला नियोजन समिति की नियमित बैठकें नहीं होती थी जैसा कि प्रस्तर 2.8.5 में इंगित किया गया था। फिर भी, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय

निकायों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं का अनुश्रवण न तो जिला नियोजन समिति ने किया न ही पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों ने विकास कार्यों पर कोई प्रतिवेदन/विवरणी जिला नियोजन समिति को प्रेषित किया। जबकि अधिनियम में विहित अनुसार बैठकें सम्पन्न नहीं हुयी थी, जिला नियोजन समितियों द्वारा जिला योजना का अनुश्रवण प्रभावी नहीं था तथा जिला नियोजन समितियों ने पंचायती राज संस्थाओं को बिल्कुल ही अनुश्रवण नहीं किया था।

2.8.10 परियोजनाओं के नाम एवं उनकी अनुमानित लागत को सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायतों हेतु वार्षिक योजना तैयार करने तथा इन्हें क्षेत्र पंचायतों की योजना में एकीकृत करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों को प्रेषित करने तथा इसी क्रम में क्षेत्र पंचायत एकीकृत योजना को जिला पंचायत की योजनाओं के साथ एकीकृत करने तथा जिला नियोजन समिति को अग्रेत्तर प्रस्तुतीकरण हेतु जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगी। क्षेत्र पंचायत फूलपुर, इलाहाबाद तथा इसकी तीन चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2008—10 हेतु कोई योजना तैयार नहीं की गयी थी जबकि कार्यों (सड़क, प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन इत्यादि) की प्रमात्रायें, प्रकृति एवं लागत का उल्लेख करते हुए वर्ष 2010—11 हेतु ग्राम पंचायतों की परियोजनाओं का समेकित विवरण पृथक-पृथक कार्यों के नाम का उल्लेख न करते हुए क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत किया था। फिर भी, नमूना जाँच की गयी ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत अधिकारियों ने बताया (नवम्बर 2011) कि जिला विकास योजना में एकीकृत करने हेतु योजनाओं को तैयार करने सम्बन्धी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था। अतः क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में जिला नियोजन समिति का कार्यकलाप प्रभावी नहीं था।

2.8.11 क्षेत्र पंचायत धनुपुर, इलाहाबाद, क्षेत्र पंचायत सरवन खेड़ा एवं मैथा, रमाबाई नगर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि क्षेत्र पंचायतों ने क्रमशः वर्ष 2009—11, 2008—11 एवं 2008—11 हेतु अपनी वार्षिक योजनायें परियोजनाओं के विवरणों एवं नामों का जिक्र किये बिना प्रमात्रा, प्रकृति एवं परियोजना लागत का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित जिला नियोजन समितियों को प्रस्तुत किया। यह दर्शाता था कि क्षेत्र पंचायतें एवं उनकी ग्राम पंचायतें अपनी वार्षिक योजनाओं एवं परियोजनाओं, जिन्हें जिला नियोजन समितियों द्वारा अनुमोदिन होना था, के बारे में गम्भीर नहीं थी। इंगित किये जाने पर, खण्ड विकास अधिकारी धनुपुर ने बताया (नवम्बर 2011) कि वर्ष 2009—10 हेतु प्रस्तावित उनकी परियोजनाओं को जिला नियोजन समिति ने विचार नहीं किया था। फलतः उसी वार्षिक

योजना को वर्ष 2010-11 हेतु प्रस्तुत किया गया जबकि क्षेत्र पंचायत सरवन खेड़ा के खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (अगस्त 2011) कि वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 हेतु उनकी परियोजनाओं हेतु किसी निधियों को जिला नियोजन समिति ने आवंटित नहीं किया था। अतः वही योजना वर्ष 2010-11 हेतु प्रस्तुत की गयी। क्षेत्र पंचायत मैथा के खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (अगस्त 2011) कि केवल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) के अन्तर्गत परियोजनायें जिला नियोजन समिति के अनुमोदन हेतु आगे की प्रस्तुति हेतु जिला पंचायत को प्रेषित की जा रही थी। इससे क्षेत्र पंचायत एवं जिला नियोजन समिति के मध्य अधिनियम के प्रावधानों एवं शासकीय आदेशों के सम्बन्ध में समन्वय एवं समझदारी का अभाव दर्शित था। इस प्रकार, जिला नियोजन समिति की कार्य प्रणाली निष्प्रभावी थी।

2.8.12 क्षेत्र पंचायत पडरौना एवं हाटा, कुशीनगर के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अवधि 2008-11 हेतु ग्राम पंचायतों की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए क्षेत्र पंचायत ने एकीकृत वार्षिक योजनायें जिला नियोजन समिति के आगे की प्रस्तुति हेतु जिला पंचायत को प्रस्तुत नहीं किया था। इंगित किये जाने पर, खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2011) कि जिला नियोजन समिति के अनुमोदन हेतु वार्षिक योजनायें तैयार करने हेतु उन्हें कोई निर्देश नहीं था। इस प्रकार, क्षेत्र पंचायतों में जिला नियोजन समिति निष्प्रभावी थी।

2.9 सारांश

सरकार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 510.28 करोड़ का आवंटन प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि 74 वें संविधान संशोधन में उनके गठन हेतु उपबन्ध होने के 15 वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात जिला नियोजन समितियों का गठन किया गया था। नमूना जाँच किए गए जिलों के जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारियों ने जिले में उपलब्ध भौतिक एवं मानव संसाधनों के आंकड़े अनुरक्षित नहीं किये थे तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विस्तृत वार्षिक योजनायें तैयार नहीं की गई थी। शासन के निर्देशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजनाओं के समेकित विवरण वित्तीय प्रभाव दिये बिना जिला योजना परियोजना में सम्मिलित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं ने जिला विकास योजनाओं से पृथक अपने सम्बन्धित बोर्डों द्वारा अनुमोदित परियोजनायें निष्पादित करायी। जिला नियोजन समितियों की अपनी नियमित बैठकें सम्पन्न नहीं की गयी थी तथा जिला विकास योजनाओं के निष्पादन का अनुश्रवण प्रभावी ढंग से नहीं किया गया था जबकि पंचायती राज संस्थाओं में कोई अनुश्रवण नहीं हो रहा

था। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजनाओं के समेकित विवरण उनके वित्तीय संसाधनों को एकीकृत किये बिना जिला नियोजन समितियों द्वारा अनुमोदित की गयी थी। अतः नमूना जॉच की गयी चार जिला पंचायतों में ₹ 241.45 करोड़ जिला विकास योजनाओं की परिधि से बाहर पड़े रहे। जिला विकास योजनायें अनुमोदन करते समय क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों को विचार करने हेतु अधिनियम में व्यवस्था नहीं थी, नमूना जॉच की गयी 11 क्षेत्र पंचायतों एवं 23 ग्राम पंचायतों के अवधि 2008-11 के दौरान उपलब्ध ₹ 93.51 करोड़ जिला वित्तीय परिव्यय के बाहर पड़े थे। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं में जिला नियोजन समितियों का कार्य कलाप बहुत कम प्रभावी था तथा संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ।

2.10 संस्तुतियाँ

- कार्यवार नामों एवं प्राक्कलित व्यय को उल्लिखित करते हुए विस्तृत वार्षिक योजनायें तैयार करने हेतु तथा जिला नियोजन समितियों को प्रस्तुत करने को शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश/परिपत्र निर्गत किया जाना चाहिए था।
- पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों एवं वार्षिक योजनाओं को जिले में एकीकृत व्यापक जिला विकास योजना हेतु जिला नियोजन समितियों को क्रमशः जिला वित्तीय परिव्यय एवं जिला विकास योजनाओं में एकीकृत करना चाहिए था।
- अनुमोदित जिला विकास योजनाओं में सम्मिलित उन्हीं परियोजनाओं को ही निष्पादित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को निर्देशित किया जाना चाहिए था तथा जिला नियोजन समितियों द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।
- पंचायती राज संस्थाओं के वित्त एवं लेखांकन को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एकीकृत करना तथा राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक पंचायत विन्डो की व्यवस्था के द्वारा इसका लेखाकरण करना चाहिए था जैसा कि पहले से ही 13 वें वित्त आयोग ने संस्तुत किया था।

अध्याय—III

लेन—देनों की लेखापरीक्षा

3.1 सन्देहास्पद एवं अधोमानक कार्य

सन्देहास्पद एवं अधोमानक नाला निर्माण पर ₹ 4.06 लाख का व्यय।

वित्तीय नियमों⁷ में यह व्यवस्था है कि सभी कार्य जिनकी मापी किया जा सके तथा सभी आपूर्ति का भुगतान माप पुस्तिका में किये मापी के आधार पर किया जाये। चूंकि कार्य एवं आपूर्ति के लिये सभी भुगतान माप पुस्तिका में प्रविष्टि की गयी मात्रा पर आधारित होते हैं अतः यह मापी लेने वाले पदस्थ व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि वह मात्रा को स्पष्ट एवं सही—सही अंकित करें।

खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत जरवल (बी डी ओ) ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एन आर ई जी एस) के अन्तर्गत 495 मी० लम्बी नाली⁸ के निर्माण के लिए ₹ 4.99 लाख का आगणन स्वीकृत किया। आगणन के अनुसार ₹ 3,700/— प्रति हजार की दर से 59,184 ईट के लिए ₹ 2,18,981/— तथा ₹ 280/— प्रति बैग की दर से 443 बैग सीमेन्ट के लिए ₹ 1,24,040/— के साथ अन्य निर्माण सामग्री की आवश्यकता थी।

खण्ड विकास अधिकारी के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2010) में यह पाया गया कि ₹ 4.06⁹ लाख व्यय करके 490 मी. लम्बी नाली का निर्माण (अक्टूबर—दिसम्बर 2009) कराया गया था। प्रथम मापी के समय 20,000 ईटों की आपूर्ति की गिनती 40,000 करके मापी प्रविष्टि किया गया तथा ₹ 1.48 लाख का भुगतान किया गया, फलस्वरूप ₹ 74,000/— का अधिक भुगतान हुआ। माप पुस्तिका संख्या 23 भाग—II के पृष्ठ सं०—2 पर अंकित मापी के अनुसार कार्य प्रारम्भ तथा पूर्ण किये जाने की तिथि क्रमशः 16.12.2009 तथा 30.12.2009 प्रविष्टि किया गया जबकि मापी किये जाने की तिथि 05.12.2009 प्रविष्टि किया गया अर्थात् मापी की तिथि कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से पूर्व थी। आगे मात्र 20,740 ईटों तथा 375 बैग सीमेन्ट की वास्तविक आपूर्ति की जगह 46, 731 ईटों व 383 बैग सीमेन्ट का उपभोग दर्शाया गया। इस तरह माप पुस्तिका में की गयी प्रविष्टियों तथा

⁷ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—V। प्रस्तर—434 एवं 435 (डी)।

⁸ आदमपुर में मस्जिद से राम अवध के घर तक।

⁹ सामग्री ₹ 3,47,627 एवं श्रम ₹ 58,600 [(i) ईटों, ईटों के बैलास्ट की आपूर्ति के लिए प्रथम रनिंग बिल का भुगतान ₹ 163,525 द्वारा माप पुस्तिका संख्या—23 पृष्ठ 1—3 दिनांक शून्य (ii) सीमेन्ट, कोर्स सैण्ड एवं फाइनसैण्ड की आपूर्ति के लिए ₹ 1,05,654 द्वारा माप पुस्तिका संख्या—23 पृष्ठ सं०—4—5 दिनांक शून्य (iii) श्रमांश का भुगतान ₹ 34,300 द्वारा माप पुस्तिका सं०—23 पृष्ठ सं० 6—8 दिनांक 5.11.09, (iv) ईटों व ईटों के बैलास्ट की आपूर्ति के लिए ₹ 32,888 द्वारा माप पुस्तिका सं०—23 प्रथम पार्ट पृष्ठ सं०—9 दिनांक 24.12.2009 (v) फाइन सैण्ड, कोर्स सैण्ड, सीमेन्ट व 20 मिमी पत्थर गिट, लोहे की छड़ की आपूर्ति के लिए ₹ 45,560 द्वारा माप पुस्तिका सं०—23 प्रथम पार्ट पृष्ठ सं०— 10—11 दिनांक शून्य (vi) श्रमांश का भुगतान ₹ 24,300 द्वारा माप पुस्तिका संख्या— 23 द्वितीय पार्ट पृष्ठ सं० 2—5 दि० 5.12.2009]

इसमें प्रदर्शित सामग्री का उपभोग आपूर्ति से अधिक होने के कारण कराया गया कार्य सन्देहास्पद एवं अधोमानक था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, खण्ड विकास अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2010) कि त्रुटियों का सुधार किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भुगतान के पूर्व माप पुस्तिका में प्रविष्टियों की जाँच किया गया था। अतः सन्देहास्पद एवं अधोमानक कार्य पर ₹ 4.06 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अक्टूबर 2011); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.2 अनियमित व्यय

बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि से ठेलिया क्रय में ₹ 10.04 लाख का अनियमित व्यय

बारहवें वित्त आयोग (टी एफ सी) के दिशा निर्देशों के अनुसार (जून 2005) पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) को अवमुक्त अनुदान का उपयोग पेयजल एवं सफाई सुविधाओं के बिस्तार तथा रख-रखाव में किया जा सकता है, लेकिन जहां किसी पंचायत के अन्तर्गत कोई पेयजल व सफाई की परिसम्पत्तियाँ न हो, निधि का उपयोग अन्य जन सुविधाओं¹⁰ के रख-रखाव में किया जा सकता है। यद्यपि इस योजना के अन्तर्गत किसी उद्देश्य के लिए व्यक्तिविशेष को लाभ पहुंचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

क्षेत्र पंचायत सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2010) में यह पाया गया कि क्षेत्र पंचायत ने (नवम्बर 2007) वित्तीय नियमों¹¹ व प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बारहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करके गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत लाभार्थियों को कूड़े के निस्तारण और उनके जीविकोपार्जन के लिए ठेलिया¹² का क्रय व वितरण का अनुमोदन किया। अग्रेत्तर जाँच में पाया गया कि 163 ठेलिया में से 150 बिल सं0 11 दिनांक 27.6.2008 तथा 13 ठेलिया बिल सं0—16 दिनांक 20.7.2008 द्वारा प्राप्त किये गये। इन ठेलियों को चयनित लाभार्थियों को एक समारोह में दिनांक 3.6.2008 को अर्थात् ठेलिया क्रय की तिथि से 24 दिन पूर्व वितरित किया गया।

¹⁰ सम्पर्क मार्ग, प्रथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, मार्ग प्रकाश, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण जैसे कब्रिस्तान एवं क्रेमेटोरियम

¹¹ तीन पहिये वाली ट्राली।

¹² ₹ एक लाख एवं ऊपर का क्रय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर खण्ड विकास अधिकारी ने स्वीकार किया (जुलाई 2011) कि ठेलिया कय किया जाना अनुमन्य नहीं था। इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बारहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करके ₹ 10.04 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अक्टूबर 2011) उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.3 निष्फल व्यय

अधूरे सड़क निर्माण पर ₹ 9.53 लाख का निष्फल व्यय ।

आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ने अपने परिपत्र (अक्टूबर 2006) द्वारा निर्देशित किया था कि आई आर सी: एसपी-20 मानक के अनुसार प्रत्येक एक किलोमीटर ग्रामीण सड़क में कम से कम दो 900 मिमी हयूम पाइप कल्वर्ट का प्रावधान किया जाये। क्षेत्र पंचायत बंगरा जिला झाँसी के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2010) में यह पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड झाँसी द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान से 3.30 किमी लम्बी देवरी सिंघपुरा सुखनी नदी के बगल से ज्योर्जतारा तिगैला तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिये ₹ 9.59 लाख के आगणन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (अक्टूबर 2006) किया गया। स्वीकृति प्रदान करते समय अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह शर्त रखी कि जैसा कि आगणन के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आगामी वर्षा के मौसम से पूर्व सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत तीन कल्वर्ट का कार्य जिन्हें निर्माणाधीन कहा गया है, को अवश्य पूर्ण कर लिया जाये जिससे सम्पर्क मार्ग नष्ट न हो। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2006) किया गया तथा न्यूनतम निविदादाता को कार्यादेश निर्गत (नवम्बर 2006) किया गया। सड़क पर मिट्टी का कार्य दिसम्बर 2006 तक पूर्ण किया गया। यद्यपि जुलाई 2010 तक कल्वर्ट का निर्माण नहीं किया गया था। खण्ड विकास अधिकारी ने अपने उत्तर में (जुलाई 2011) अवगत कराया कि कल्वर्ट निर्माण कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना करने के साथ अधिशासी अभियन्ता द्वारा आगणन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय लगायी गयी शर्त के विपरीत सड़क निर्माण कराया गया अर्थात् मानक के अनुसार आवश्यक 6 कल्वर्ट के विरुद्ध कोई कल्वर्ट निर्माण नहीं कराया गया। कल्वर्ट की अनुपस्थिति में सड़क अपूर्ण थी एवं जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया था (जैसा प्रतिवेदन में कहा गया है, किसानों की उपज को बाजार तक ले जाने के लिए) सभी मौसम में उस प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता था।

इस प्रकार अपूर्ण सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर ₹ 9.53 लाख का व्यय निष्फल था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (फरवरी 2011), उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

3.4 ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर परिहार्य व्यय

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के निर्माण पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्धारित विशिष्टियों का पालन न किये जाने के कारण ₹ 14.24 लाख का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग (सा.नि.वि.) ने यह विशिष्टियाँ (जून 2007) निर्धारित किया है कि यदि ग्रामीण सम्पर्क सड़क के लिए प्रीमिक्स कारपेटिंग (पी सी) का प्रावधान किया गया है तो टाप कोट/ वाटर बाउंड मैकेडम (डब्ल्यू बी एम) सतह के ऊपर प्राइम कोट¹³ के पश्चात प्रीमिक्स कोट व सील कोट सीधे कराया जा सकता है अर्थात् प्रथम कोट पेन्टिंग (पी-1) कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

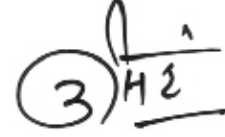
जिला पंचायत कौशाम्बी (जि पं) के अभिलेखों के परीक्षण करने पर यह पाया गया कि (दिसम्बर 2010) पाँच ग्रामीण सम्पर्क मार्ग जिनका कुल सतह क्षेत्रफल 15,414 वर्गमीटर था, का जून 2009 एवं जून 2010 के मध्य डब्ल्यू वीएम एवं पीसी के बीच पी-1 डालकर निर्माण किया गया जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के विपरीत था। पी-1 कराने पर कुल व्यय ₹ 18.80 लाख किया गया जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार प्राइम कोट कराने पर ₹ 4.56 लाख व्यय होता। इस प्रकार जिला पंचायत ने विशिष्टियों का पालन न करके ₹ 14.24 लाख का परिहार्य व्यय किया (परिशिष्ट 3.1)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अपर मुख्य अधिकारी ने अवगत कराया कि (दिसम्बर 2010) पूर्व प्रचलित मानक के अनुसार पी-1 कराया गया था परन्तु अब पीसी मार्ग के लिए डब्ल्यू बीएम के ऊपर केवल प्राइम कोट कराये जाने की विशिष्टियों का पालन किया जा रहा है। उत्तर स्वतः स्पष्ट है कि जिला पंचायत ने सड़क निर्माण के समय प्रभावी सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशिष्टि का पालन नहीं किया तथा ₹ 14.24 लाख का परिहार्य व्यय किया। इस प्रकार जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित संशोधित विशिष्टि का पालन न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 14.24 लाख परिहार्य व्यय हुआ।

¹³ विशिष्टि मात्रा (75 किग्रा प्रति 100 वर्ग मीटर) में कम सेटेल होने वाले इमलशन के साथ। क्योंकि कम सेटेल होने वाले इमलशन की दर जो कि सामान्यतया मैक्सफाल्ट की दर से कम रहती है, उपलब्ध नहीं था क्योंकि इकाई द्वारा कम सेटेल होने वाले इमलशन की आपूर्ति प्राप्त नहीं किया गया था, कम सेटेल होने वाले इमलशन का मूल्य कार्य में प्रयुक्त मैक्सफाल्ट की दर पर गणना किया गया था।

इस प्रकरण को शासन को (सितम्बर 2011) सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2012)।

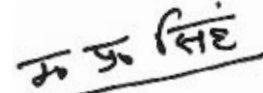
इलाहाबाद
दिनांक



यू.पी. सिंह सिसोदिया
उपमहालेखाकार
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांक



मुकेश पी. सिंह
प्रधान महालेखाकार
(सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ- प्रस्तर संख्या: 1.4.4 पृष्ठ संख्या-8)
जिला पंचायतों में कर संग्रह में अवशेष (2009-10)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला पंचायत का नाम	पूर्व शेष	चालू वर्ष की मांग	योग	वर्ष के दौरान वसूली	शेष 31.3.10
1.	आगरा	14.47	22.59	37.06	20.33	16.73
2.	अलीगढ़	—	324.75	324.75	70.45	254.30
3.	औरैया	—	4.99	4.99	—	4.99
4.	आजमगढ़	207.72	75.36	283.08	118.90	164.18
5.	बलरामपुर	118.08	13.11	131.19	129.79	1.40
6.	बरेली	207.05	222.55	429.60	131.29	298.31
7.	देवरिया	136.78	59.70	196.48	80.50	115.98
8.	इटावा	30.73	70.64	101.37	68.13	33.24
9.	जी.बी.नगर	108.41	71.00	179.41	61.55	117.86
10.	गाजीपुर	191.58	63.86	255.44	16.55	238.89
11.	गोण्डा	—	54.45	54.45	40.15	14.30
12.	गोरखपुर	161.59	28.40	189.99	35.96	154.03
13.	जे.पी. नगर	123.17	92.00	215.17	94.71	120.46
14.	जालौन	26.04	17.13	43.17	10.26	32.91
15.	झांसी	—	49.29	49.29	—	49.29
16.	कानपुर (देहात)	203.28	134.07	337.35	153.34	184.01
17.	कानपुर नगर	179.18	36.05	215.23	62.33	152.90
18.	कौशाम्बी	37.20	101.99	139.19	64.13	75.06
19.	लखीमपुर खीरी	121.55	126.26	247.81	131.88	115.93
20.	महामाया नगर	38.68	15.64	54.32	13.78	40.54
21.	महोबा	46.27	34.90	81.17	35.26	45.91
22.	मथुरा	21.14	76.57	97.71	77.80	19.91
23.	मऊ	45.91	34.35	80.26	34.35	45.91
24.	मुरादाबाद	4.23	11.78	16.01	3.15	12.86
25.	मुजफ्फरनगर	—	162.52	162.52	66.47	96.05
26.	पीलीभीत	32.78	54.00	86.78	36.22	50.56
27.	सहारनपुर	127.26	97.66	225.42	94.56	130.86
28.	शाहजहाँपुर	136.77	59.69	196.46	80.49	115.97
29.	सिद्धार्थ नगर	60.59	53.34	113.93	48.22	65.71
30.	सीतापुर	163.86	104.76	268.62	123.92	144.70
31.	श्रावस्ती	26.70	25.34	52.04	17.58	34.46
32.	उन्नाव	10.09	3.61	13.70	3.10	10.60
योग		2581.61	2302.35	4883.96	1925.13	2958.81

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका 2010-11)

परिशिष्ट—1.2
(संदर्भ— प्रस्तर संख्या: 1.8; पृष्ठ संख्या—10)
रोकड़ अवशेष का मिलान न किया जाना (31 मार्च, 2010 को)

(₹ लाख में)

जिला पंचायत					
क्र. सं.	जिला पंचायत का नाम	रोकड़ अवशेष कैश बुक के अनुसार	धनराशि जिसका मिलान किया गया (अनकैशड चेक इत्यादि)	रोकड़ अवशेष पास बुक के अनुसार	धनराशि जिसका मिलान नहीं किया गया
1.	अलीगढ़	246.38	80.26	327.02	0.38
2.	बांदा	1415.73	115.81	1648.7	117.16
3.	चित्रकूट	1473.63	—	1853.24	379.61
4.	देवारिया	441.44	43.87	487.65	2.34
5.	इटवा	219.06	—	276.68	57.62
6.	रामपुर	153.03	—	183.61	30.58
7.	शाहजहांपुर	487.65	—	485.31	2.34
				योग	590.03

क्षेत्र पंचायत						
क्र. सं.	जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	रोकड़ अवशेष कैशबुक के अनुसार	धनराशि जिसका मिलान किया गया (अनकैशड चेक इत्यादि)	रोकड़ अवशेष पास बुक के अनुसार	धनराशि जिसका मिलान नहीं किया गया
1.	अलीगढ़	टप्पल	23.21	—	38.05	14.84
2.	बदायूँ	जगत	38.23	—	9.48	28.75
3.	बस्ती	बस्ती सदर	33.22	0.22	40.46	7.02
4.	इटवा	सैफई	26.29	—	30.12	3.83
5.	गाजीपुर	जमनिया	7.98	—	8.18	0.20
6.	गाजीपुर	कासिमाबाद	92.64	—	107.94	15.30
7.	जे.पी.नगर	हसनपुर	38.39	—	55.13	16.74
8.	लखीमपुर खीरी	रमिया बेहड़	93.84	—	133.33	39.49
9.	शाहजहांपुर	ददरौल	23.46	—	28.09	4.63
10.	शाहजहांपुर	काँठ	15.58	—	17.68	2.10
11.	शाहजहांपुर	तिल्हर	33.72	—	36.75	3.03
12.	श्रावस्ती	जमुन्हा	55.50	—	53.33	2.17
13.	श्रावस्ती	सिरसिया	42.70	—	62.16	19.46
14.	सीतापुर	खैराबाद	33.50	—	53.31	19.81
15.	सीतापुर	परसण्डी	56.72	—	100.28	43.56
16.	सुल्तानपुर	गौरीगंज	70.04	—	121.69	51.65
17.	उन्नाव	हिलौरी	139.39	—	144.06	4.67
18.	उन्नाव	सफीपुर	82.52	—	222.64	140.12
योग—						417.37

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका 2010-11)

परिशिष्ट-2.1
(संदर्भ-प्रस्तर संख्या: 2.8.6; पृष्ठ संख्या-20)
क्षेत्र पंचायतों में स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण
अवधि 2008-11

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र पंचायत का नाम	धनराशि स्वीकृत	धनराशि अवमुक्त
1.	पुरवा, जनपद उन्नाव	4.21	2.74
2.	हसनगंज, जनपद उन्नाव	7.64	4.26
3.	बीघापुर, जनपद उन्नाव	11.13	8.22
4.	सरवनखेरा, जनपद रामाबाई नगर	2.03	1.41
5.	राजपुर, जनपद रामाबाई नगर	3.99	2.86
6.	मैथा, जनपद रामाबाई नगर	3.50	2.92
7.	फूलपुर, जनपद इलाहाबाद	2.63	1.73
8.	धनुपुर, जनपद इलाहाबाद	3.36	2.41
9.	पडरौना, जनपद कुशीनगर	15.36	12.67
10.	हाटा, जनपद कुशीनगर	11.35	10.50
11.	तमकुही, जनपद कुशीनगर	11.37	8.84
योग		76.57	58.56

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ-प्रस्तर संख्या: 2.8.6; पृष्ठ संख्या-20)

ग्राम पंचायतों में उपलब्ध एवं व्यय की गयी निधियों का विवरण
अवधि 2008-11

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	उपलब्ध निधियाँ	व्यय की गयी निधियाँ
1.	बारा हरदो, जनपद- उन्नाव	1.24	0.99
2.	टेण्डा, जनपद- उन्नाव	0.74	0.45
3.	ओसिया, जनपद- उन्नाव	0.76	0.53
4.	मगरायार, जनपद- उन्नाव	0.84	0.44
5.	मलिकपुर, जनपद-रमाबाई नगर	0.34	0.15
6.	माण्डा, जनपद- रमाबाई नगर	0.82	0.60
7.	लालपुर, जनपद- रमाबाई नगर	0.91	0.65
8.	रैपालपुर, जनपद- रमाबाई नगर	0.61	0.42
9.	अतरौरा, जनपद-इलाहाबाद	0.49	0.37
10.	कपसा, जनपद- इलाहाबाद	0.37	0.35
11.	मैलाहन, जनपद- इलाहाबाद	0.47	0.35
12.	महाराजपुर, जनपद- इलाहाबाद	0.34	0.23
13.	जारौन, जनपद- इलाहाबाद	0.42	0.34
14.	किरावन, जनपद- इलाहाबाद	0.41	0.26
15.	राहसूनखुर्द, जनपद- कुशीनगर	0.60	0.40
16.	पिपरा जातमपुर, जनपद- कुशीनगर	1.27	1.05
17.	मटिहनिया खुर्द, जनपद- कुशीनगर	0.61	0.38
18.	बखनहा, जनपद- कुशीनगर	0.60	0.54
19.	अहिरौली रजा, जनपद- कुशीनगर	0.60	0.42
20.	धाधा बुजुर्ग, जनपद- कुशीनगर	1.39	1.16
21.	तमकुही , जनपद- कुशीनगर	1.06	0.72
22.	बिहार बुजुर्ग, जनपद- कुशीनगर	0.59	0.47
23.	महुवावा बुजुर्ग, जनपद- कुशीनगर	1.46	0.88
योग		16.94	12.15

परिशिष्ट-3.1
(संदर्भ-प्रस्तर संख्या: 3.4; पृष्ठ संख्या-28)
परिहार्य व्यय

क्र. सं.	सड़क का नाम	योजना	कार्य पूर्ण होने की तिथि	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	पी-1 पर व्यय धनराशि (₹) एवं दिनांक	प्राइम कोट के लिए आवश्यक बिटुमिन की मात्रा (एम टी)	बिटुमिन की दर प्रति एम टी ₹	प्राइम कोट के लिए आवश्यक बिटुमिन की कुल लागत (₹) (7x8)	परिहार्य व्यय (6)-(9) ₹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	प्राइम कोट कार्य ग्राम संचारा मिठेपुर से निहालपुर	बारहवां वित्त आयोग	05.06.2010	3900	477813.57 24.06.2010	2.925	38000	111150.00	366663.57
2.	समदा मंझनपुर रोड पर विशेष मरम्मत कार्य	बारहवां वित्त आयोग	13.06.2009	2964	370882.8 02.07.2009	2.223	45500	101146.50	269736.30
3.	कठारा पक्की सड़क से घिसलाई के पूरा रोड पर प्राइम कोट कार्य	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	17.03.2010	1350	159269.84 20.04.2010	1.013	38000	38494.00	120775.84
4.	खरा से भेंदवा रोड पर प्राइम कोट कार्य	बारहवां वित्त आयोग	04.05.2010	3900	472061.07 09.06.2010	2.925	38000	111150.00	360911.07
5.	पी.एम.जी.एस.वाई. लिंक रोड से भदेसर पर प्राइम कोट कार्य	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	17.04.2010	3300	400019.40 18.06.2010	2.475	38000	94050.00	305969.40
योग				15414	1880046.68			455990.50	1424056.18

